(क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा (एक) ग्राम सभा की भूमि में से (दो) अधिकतम जोत सीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त भूमि में से (तीन) अधिगृहीत भूमि में से, कितने परिवारों को केन्द्रीय सरकार की आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को रिहायशी भमि देने की नीति के अन्तर्गत भूमि दी गई है और प्रत्येक परिवार को कितनी भूमि दी गई है ;

(ख) क्या जिला नैनीताल की काशीपुर तहसील के अनेक गांवों में प्रत्येक भूमिहीन किसान को वन विभाग की भूमि में से या कालोनी बसाने की योजना के अन्तर्गत अधिगृहीत भूमि में से केवल 20X25 फुट क्षेत्रफल का प्लाट देकर बसाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या भूमिहीन किसानों के लिए इतनी कम भूमि पर्याप्त है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) इस मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी 12,12,014 पात्र परिवारों को आवास स्थल अलाट कर दिए हैं।

पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों के परिवार को एक एकक माना गया है और जिन के पास 100 वर्जगज से कम भूमि प्रति एकक थी उन्हें 100—150 वर्गगज भूमि के आवंटन के लिए पात्र समझा गया। आवास स्थलों के आवंटन हेतु उपयोग की गई भूमि में गांव सभा सरकारी भूमि, जोतों पर अधिकतम सीमा लागू करने के परिणाम-स्वरूप फालतू घोषित भूमि और अर्जित भूमि शामिल है । जून, 1976 में उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 1976 के अन्त तक 11,88,134 परिवारों को आवास स्थलों के आवंटन के लिए गांव सभा की 15,082.90 — हेक्टेयर भूमि तथा 567.30 हेक्टेयर अर्जित भूमि का उपयोग किया गया था।

शेष 23,880 परिवारों को आवंटित भूमि का ब्यौरा भेजने के लिये राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है ।

(ख) और (ग) . उत्तर प्रदेश सरकार से आवश्यक ब्यौरा भेजने के लिए अनुरोध किया गया है और ब्यौरे की प्रतीक्षा की जा रही है ।

नगर निगम के शिक्षकों के वेतनमान

3097. **श्री भानु कुमार शास्त्री** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगर निगम, दिल्ली का शिक्षा विभाग उन्हीं वेतनमानों को लागू करता है जो समय समय पर भारत सरकार द्वारा मंजूर किये जाते हैं;

(ख) क्या शिक्षकों के वेतनमान जिनकी तीसरे वेतन आयोग ने सिफारिश की थी लागू कर दिये गये हैं परन्तु 20 प्रतिशत सेलेक्शन ग्रेड की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या स्कूलों के निरीक्षकों, वरिष्ठ निरीक्षकों, सहायक शिक्षा अधिकारियों तथा उप शिक्षा अधिकारियों के वेतनमान 27 मई, 1970 तथा 1 जनवरी, 1973 से पूर्णतया लागू नहीं किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चुन्दर) : (क) जी, हां।

(ख) वेतनमान लागू कर दिये गये हैं तथा सेलेक्शन ग्रेड के 20 प्रतिशत कोटे को लागू करना आरम्भ कर दिया गया है।

(ग) यह मामला दिल्ली नगर निगम के प्राधिकारियों के विचाराधीन है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

गेहूं की सुधरी किस्म के बारे में अनुसंधान

3098. **श्री जगदम्बी प्रासद यादव** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के एक केन्द्र में उत्तरी भारत के कई राज्यों के लिए गेहूं की सुधरी किस्मों के बारे में अनुसंधान किया जाता है परन्तु वहां के केन्द्र में केवल एक ही सदस्य विज्ञानी है और उसकी सहायता हेतु क्लर्क नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संस्था में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या इस केन्द्र में प्रदर्शन कार्य के लिये न तो बीज उपलब्ध है और न ही उर्वरक; और

(घ) क्या सरकार का इस बारे में कोई उपचारात्मक उपाय करने का विचार है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां, श्रीमान । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का एक केन्द्र पूसा (बिहार) में है जो कि सामान्यतः दूसरे राज्यों के लिए और विशेषतः बिहार राज्य के लिए गेहूं की सुधरी किस्मों को विकसित करने के लिए अनुसंधान कर रहा है। इस केन्द्र में, एक प्रजनक और एक रोगनिदान विज्ञानी के अलावा गेहूं अनुसंधान पर काम करने वाला एक सस्य विज्ञानी भी है। यद्यपि प्रत्येक विज्ञानी के साथ कोई क्लर्क कर्मचारी अलग तौर पर नहीं लगाया गया है फिर भी पूरे केन्द्र के लिए दफ्तर की सामान्य सुविधाएं हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूसा केन्द्र के अतिरिक्त, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, ढोली की बिहार में अनुसंधान करने की आरम्भिक जिम्मेदारी है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूरी सहायता देता है।

(ख) इस केन्द्र के गेहूं अनुसंधान कार्य के सभी सस्य संबन्धी पहलुओं की देखभाल के लिए एक सस्य विज्ञानी काफी है। फिर भी, जैसे जैसें काम का विस्तार होगा, केन्द्र को उपयुक्त सहायता दी जायेगी।

(ग) पूसा का गेहूं अनुसंधान केन्द्र प्रदर्शन कार्य करने के लिए नहीं है। फिर भी, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, ढोली दो जिलों में यानि सन्थाल परगना और मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन करता है। इन राष्ट्रीय प्रदर्शनों के अन्तर्गत बीज/उर्वरक/कीटनाशी दवाओं के रूप में सहायता देने का प्रावधान है।

(घ) इस केन्द्र में गेहू अनुसंधान करने के लिए आवश्यक कर्मचारियों और पर्याप्त धन की व्यवस्था की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् इस केन्द्र के अनुसंधान आधार को मजबूत करने के लिए जब कभी आवश्यकता होगी उपयुक्त कदम उठायेगी।